न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 61/2014

श्री शंकरलाल पुत्र श्री लाला जी आयु 80 साल जाति भांबी निवासी शराब के ठेके के पास ग्राम शिखरानी तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर जिला–अजमेर

————वादी

ब ना म

1– श्री पन्ना पुत्र बख्ता आयु बालिग जाति चमार (बैरवा)
निवासी ग्राम शिखरानी तत्कालीन तहसील मसूदा हाल तहसील विजयनगर

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब तहसील विजयनगर
जिला–अजमेर राज0

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 व धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

निर्णय दिनांक 27.6.2017

वादी ने अपने वाद पत्र में सारांशतः निवेदन किया है, कि मौजा शिखरानी तत्कालीन तहसील ब्यावर हाल तहसील विजयगनर की के खसरा नंबर 1706 मिन रकबा 15 बीघा भूमि स्व0 बख्ता पुत्र सांवला कौम चमार साकिन दे के नाम बहैसियत खातेदारी चली आ रही थी। जिसके दोरान भू संशोधन नवीन खसरा नंबर 3834 रकबा 00–03–00, 3833 रकबा 04–12–00, 3835 रकबा 06–10–00, 3836 रकबा 04–18–00 व 3837 रकबा 04–18–00 कायम हुये। उक्त भूमियो वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 बख्ता के मध्य जुबानी करार के अनुसार हाल खसरा नंबर 3833 रकबा 04–12–00 सम्पूर्ण रूप से व खसरा नंबर 3835 रकबा 06–10–00 में से 02–00–00 कुल 06–12–00 तथा खसरा नंबर 3834 रकबा 00–03–00 गैर मुमकिन चाह का 1/3 हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय दस्तावेज दिनांक 31.5.1976 के द्वारा क्रय कर ली गई। तथा वर्किंग जमाबंदी के पर्चा वितरण के समय वादी को जानकारी हुई कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज चली आ रही है, इस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य आपसी सहमति व स्वीकृति के आधार पर उसके द्वारा वादी के हक में उक्त बेचाननामा बाबत दिनांक 11.08.1995 को एक सहमति पत्र भी वादी के हक में तहरीर कर दिया गया। तथा भौतिक रूप से स्पष्ट दृष्टिगौचर व वास्तविक कब्जा जमीन खरीदने के समय से ही वादी का चला आ रहा है। तथा उक्त दस्तावेज निष्पादित किये जाने के बाद भी वादी का नाम अंकित नही किया जा सका क्योकि वादी अशिक्षित काश्तकार है, वह इस विश्वास में रहा कि उसका कब्जा चला आ रहा है, तथा जमाबंदी में इन्द्राज कर दिया गया है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 व उसके परिवार वाले हमेशा यह भी धमकी देता आ रहा है, कि वह कभी भी वादी के कब्जे में जो भूमि है, और जो कि मेरे नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज है, उसे बेचान कर देंगे तथा दिनांक 8.7.2014 को वादी को धमकी दी कि वह कब्जा करके रहेंगे तथा बेचान करके रहेंगे इसलिये वाद प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः वादग्रस्त भूमियो का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जावे। तथा खर्चा वाद दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 बावजूद सम्मन तामील उपस्थित नही होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी मसूदा (अजमेर)

प्रकरण मे साक्ष्य वादी तलब की गई साक्ष्य वादी में शंकरलाल ने आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर अपने वाद पत्र के कथनो को दोहराते हुये वाद स्वीकार करने का कथन किया।

.....लगातार

साक्ष्य प्रतिवादी में स्वंय प्रतिवादी पन्ना ने आदेश 18 नियम 4 जाब्ता दीवानी का शपथ पत्र प्रस्तुत कर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण केंप कोर्ट में प्रस्तुत हुआ जिसमें वादी व प्रतिवादी ने आपस में राजीनामा प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 1 ने कथन किया कि वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया कि ग्राम शिखरानी की जमाबन्दी संवत् 2024–26 के खाता संख्या 638 में साबिक खसरा नम्बर 1706 रकबा 00–15–00 बख्ता वल्द सांवला कौम चमार साकिन देह दर्ज है। साबिक खसरा संख्या 1706 के हाल खसरा संख्या 3834, 3833, 3835, 3836, 3837 बने हैं। वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 के खाता संख्या 939 में उक्त हाल नम्बर पन्ना वल्द बख्ता सा. देह गे. खातेदार तथा इसी जमाबन्दी में नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 08.03.1988 से पन्ना पुत्र बख्ता चमार को गैर खातेदारी से खातेदार के अधिकार प्राप्त होना दर्ज है तथा बाद की चौसाला जमाबन्दियों में पन्ना वल्द बख्ता कौम चमार सा. देह खातेदार दर्ज चला आता है। जमाबन्दी संवत् 2024–26 में श्री बख्ता वल्द सांवला खातेदार रहा है एवं रजिस्टर्ड बेचाननामा दिनांक 20.05.1976 के द्वारा बख्ता पुत्र सांवला जाति चमार ने खसरा नंबर 3833, 3835 मिन व 3834 को वादी के पिता शंकलाल पुत्र लाला जी को बेचान किया जाना पाया गया। एंव असल सहमति पत्र दिनांक 11.08.1995 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कथन किया गया है, कि रजिस्टर्ड पंजीकृत बेचाननामा दिनांक 20.05.1976 के द्वारा जो भूमियो का सम्पूर्ण हिस्सा बेचान किया गया है, वह सही किया गया है, तथा विवादित भूमियो पर कब्जा वादी का ही चला आ रहा है। इसके अतिरिक्त स्वयं प्रतिवादी संख्या 1 ने मज़में आम में पृथक से राजीनामा प्रस्तुत कर वादी के वाद को स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति मे पत्रावली पर उपस्थिति दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के अनुसार वादी का वाद स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 स्वीकार किया जाकर मौजा हाल शिखरानी पटवार क्षैत्र शिखरानी तहसील विजयनगर में स्थित खसरा नंबर 3833 रकबा 04–12–00, एंव 3835 मिन रकबा 02–00–00 एंव खसरा नंबर 3834 रकबा 00–03–00 गैर मु0 चाह का 1/3 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 का नाम राजस्व रेकार्ड में उक्त भूमियो के विषय में विलोपित किया जाता है। तहसीलदार विजयनगर को आदेशित किया जाता है, कि उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में वादी के नाम का इन्द्राज किया जावे। तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा मुमानियत किया जाता है, कि प्रतिवादी संख्या 1 विवादित भूमियो की पूर्व जमाबन्दियों में अपने नाम दर्ज होने का फायदा उठाते हुए बेचान हस्तांतरण आदि नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। यथानुसार डिक्री पर्चा जारी किया जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.6.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश चावला)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.31 17:02:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: